भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
भारत
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
38AA 122301

संस्थापक न्यासी द्वारा दिया गया दान तथा अन्य धनराशि या जायदाद, जो न्यास का चन्दा, दान, उपहार, सहयोग या सहायक अनुदान द्वारा सदस्यों या उनके परिवार, संस्थापक, परिषदों, सहकारी समितियों, स्थानीय अधिकारियों या सरकार या विदेशी द्वारा मिलती है, या भविष्य में मिलेगी, सब एकत्र होकर न्यास कोष या **"न्यास फण्ड"** कहलायेगा और जिसमें न्यास के उद्देश्यों का संचालन किया जायेगा।

6– न्यास के उद्देश्य –

(1) स्वस्थ वातावरण में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, डिग्री कालेज, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

(2) सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संस्थान प्रारम्भ करना।

(3) व्यवसायिक शिक्षण हेतु आवश्यक संस्थान/प्रयोगशाला प्रारम्भ करना एवं संचालन करना एवं इस हेतु उद्योगों से समझौता करना।

(4) छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय/परिसर बनाना तथा चलाना।

(5) पशु पालन, कुकुट्ट पालन तथा कृषि कार्य द्वारा आवासीय परिसर में रह रहे छात्र/छात्राओं तथा कर्मचारियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना।

(6) न्यास द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी संस्था की यथा आवश्यक नियमों के अनुपालन हेतु मान्यता आदि प्राप्त की जा सकती है।

(7) न्यास द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान आदि प्राप्त किया जा सकेगा।

(8) न्यास द्वारा सामाजिक उन्नयन मानव सेवा एवं रोजगार परक शिक्षा हेतु आवश्यक सभी कार्य किये जा सकेगे।

न्यासियों– स्वामी अतुलानन्द सेवा न्यास के निम्नलिखित व्यक्ति न्यासी एवं पदाधिकारी होगें–

1.

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
भारत
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ZAA 122300

1– श्री विशाल सिंह पुत्र स्व0 श्री राज सिंह, निवासी प्लाट नं0–53, राज राजेश्वरी नगर, गिलट बाजार, वाराणसी– **मुख्य न्यासी।**

2– श्रीमती विद्या सिंह पत्नी स्व0 श्री राज सिंह, निवासी प्लाट नं0–53, राज राजेश्वरी नगर, गिलट बाजार, वाराणसी– **न्यासी।**

3– श्रीमती दिव्या सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी प्लाट नं0–53, राज राजेश्वरी नगर, गिलट बाजार, वाराणसी– **न्यासी।**

न्यासियों की संख्या– ट्रस्टियों की संख्या 3 से कम व 7 से अधिक नहीं होगी।

7– न्यास के अंग– सामान्य व्यवस्था और न्यास पर नियंत्रण तथा न्यास के धन एवं उसकी जायदाद पर नियंत्रण तथा उसके कार्यो की देख–रेख हेतु दो अंग होगें–

(1)–साधारण सभा।

(2)–प्रबन्धकारिणी समिति।

(1)– साधारण सभा–

क– न्यास के सभी ट्रस्टियों का मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ख– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय चेयरमैन की अनुमति पर बुलाई जा सकती है।

ग– सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना ट्रस्टियों को 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

घ– गणपूर्ति के लिए कुल ट्रस्टियों में से 2/3 की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थापित हो जाती हैं, तो उसके तुरन्त बाद की बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।